आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0– 15/2018–19
आवेदक– गणेश मुर्मू
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– भौराबांध

आदेश

19.7.19

आवेदक द्वारा दिनांक 24.08.2018 को आवेदन दाखिल कर मौजा सरसा पहाड के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी एवं 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्त। आवेदक ने आवेदन दाखिल कर कहा है कि मौजा भौराबांध में कई वर्षों से प्रधान की नियुक्ति नहीं हुई। आवेदक मौजा भौराबांध के प्रधान पद पर बहाल करने हेतु अनुरोध किया है।

दिनांक 19.04.2019 को ग्राम भौराबांध में नूर नबी अंसारी की अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों एवं हल्का कर्मचारी की उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। उक्त ग्राम सभा में उपस्थिति ग्रामीणों ने सर्व सम्मति से श्री गणेश मुर्मू को प्रधान के रूप में चयन किये हैं। श्री मुर्मू एक शिक्षित व्यक्ति हैं, गांव के सार्वजनिक कार्य कलाप जैसे– शादि– विवाह, पूजा–पाठ, लडाई–झगडे इत्यादि में हमेशा आगे आते हैं और सुलभ तरीके से निपटारा करते हैं।

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 379/रा0, दिनांक 07.05.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा भौराबांध अंतर्गत खाता सं0 17 में लोबिन मोहली दीगर, पिता– गणेश मोहली के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक गणेश मुर्मू खतियानी रैयत लोबिन मोहली के पोता हैं। ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा कर आवेदक गणेश मुर्मू को मौजा का प्रधान बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। आवेदक मौजा भौराबांध के स्थायी निवासी है एवं शिक्षित व्यक्ति है और मौजा के प्रधान पद के योग्य है। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों ने भी आवेदक गणेश मुर्मू को प्रधान के रूप में चुने है एवं मौजा भौराबांध के रिक्त प्रधानी पद पर आवेदक गणेश मुर्मू को प्रधान बहाल करने की अनुशंसा किये है।

अतएव अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों की अनापत्ति के अभाव तथा ग्रामीणों के सहमति से आवेदक गणेश मुर्मू को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 05 के अंतर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

ज्ञापांक 304/रा0
दिनांक 23.7.19

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner